

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

संख्या:- २१४/सी०ई०ओ०-१-६९/१-२०११ लखनऊ दिनांक १३ जनवरी, 2012  
सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।


विषय- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2012 के सफल सम्पादन एवं मा० निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी से अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2012 में आबकारी विभाग के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को यथासम्भव निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखा जाय:-

- अ- वे समस्त जिला आबकारी अधिकारी जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है।
- ब- चेक पोस्टों पर विभिन्न जनपदों के नियुक्त कार्मिक।
- स- मदिरा के उत्पादन, खरीद, स्टॉक, खुदरा विक्रय, दैनिक प्राप्ति आदि से सम्बन्धित आंकड़ों के अनुवीक्षण से जुड़े क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी।

भवदीय,


  
(अतीक अहमद सिद्दीकी)  
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:- २१४ (१)/सी०ई०ओ०-१-तददिनांक:-

प्रतिलिपि  
कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

- 1- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या 993/नोडल अधिकारी/आबकारी/वि०स०सा०/निर्वाचन-2012/इला० दिनांक 06.01.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०।
- 3- प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वेबसाइट पर डालने हेतु।

  
(अतीक अहमद सिद्दीकी)  
विशेष कार्याधिकारी।